428

संख्या–43/XXXVI(2)2013-32-जी0/01

प्रेषक,

डी0पी0गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

देहरादूनः दिनांक 15– फरवरी, 2013

न्याय अनुभाग–2

विषय– **स्थानान्तरण वाद (सिविल) संख्या 22–23/2001, बृजमोहन लाल प्रति भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19–4–2012 के अनुपालन में राज्य में स्थापित सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट के कुल 23 न्यायालयों हेतु स्टाफ का सृजन किया जाना।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपके पत्र संख्या–5424/UHC/Admin.B/2005 दिनांक 9–10–2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल स्थानान्तरण वाद (सिविल) संख्या 22–23/2001, बृजमोहन लाल प्रति भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19–4–2012 के अनुपालन में राज्य में स्थापित सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट के कुल 23 न्यायालयों के कार्य संचालन हेतु संलग्नक अनुसार समूह 'ग' के कुल 128 अस्थायी संवर्गीय पद उसके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में एवं समूह 'घ' के कुल 66 पद, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा शासनादेश निर्गत किये जाने या नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो से 1 वर्ष अथवा दिनांक 28–2–2014 जो भी पूर्व में हो तक यदि ये बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जाय सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– न्यायालयों के लिये सृजित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शासन के समय–समय पर जारी शासनादेशों के अधीन आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती की जायेगी।

3– समूह 'ग' के पदों पर भर्ती यथासम्भव प्रदेश के फालतू/छंटनीशुदा कर्मचारियों से की जायेगी। उक्तानुसार पद सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेगें।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक के अनुदान संख्या– 04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–105 सिविल एवं सेशन्स न्यायालय–03–सिविल एवं सेशन न्यायाधीश–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–165NP/वित्त अनुभाग–5/2013 दिनांक 13–02–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0पी0गैरोला)
प्रमुख सचिव,

संख्या–43(1)/XXXVI(2)2013-32जी/2001तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

2– समस्त जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4– वित्त अनुभाग–5/नियुक्ति अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–43/xxxvi(2)/2013-32जी0/2001 दिनांक 15–02–2013 का संलग्नक

सिविल जज (अवर खण्ड) के 5 तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट के 18 न्यायालयों के लिये सृजित पद

कम सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	मुंसरिम	₹ 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	5X1= 5
2	आशुलिपिक	₹ 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	23X1= 23
3	रीडर	₹ 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	23X1= 23
4	सूट क्लर्क/अहलमद एवं मिसलेनियस क्लर्क	₹ 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	23X2= 46
5	प्रतिलिपिक	₹ 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	23X1= 23
6	अनुसेवक	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	23X2= 46
		योग	166

बाह्य न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), मसूरी (जिला देहरादून) तथा बाह्य न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), बाजपुर, जसपुर व सितारगंज (उधमसिंहनगर) के लिये सृजित अतिरिक्त पद

कम सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	डिप्टी नाजिर	₹ 5200–20200ग्रेड वेतन 2400	4X1= 4
2	अमीन	₹ 5200–20200ग्रेड वेतन 1900	4X1= 4
3	प्रोसेस सर्वर	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	4X2= 8
4	चौकीदार	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	4X1= 4
5	माली	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	4X1= 4
6	स्वीपर	आउटसोर्सिंग के माध्यम से	4X1= 4
		योग	28

(डी0पी0गैरोला)
प्रमुख सचिव।